न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—65/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/216)

1. श्री सरसा देवी चेरिटीबिल ट्रस्ट, सरसा देवी मंदिर, भानगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर जरिये मंत्री श्री सरसा देवी चैरिटेबिल ट्रस्ट, सरसा देवी मदिर भानगढ़ तहसील राजगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद कुमार माथुर एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील एवं अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी प्रन्यास ने उदात उद्देश्यों के लिये भूमि जो मंदिर परिसर के संलग्नित है और सिवाय चक अनाधिवासित पड़त भूमि है तथा ग्राम गोला का बास पटवार हल्का में अवस्थित है, जो आवंटन करने हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.1997 को प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा कुल 4.86 हैक्टयर भूमि जो सिवाय चक अनउपजाउ, अनधिवासित राजकीय भूमि है, जो प्रार्थी केन्द्र के पावन उद्देश्यों हेतु आवंटन करने की प्रार्थना की जिसको राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अनुमत संस्वीकृत किया जाकर ग्राम पंचायत गोला का बास तहसील राजगढ जिला अलवर तथा वन विभाग द्वारा खसरा नम्बर 150 रकबा 0.70 हैक्टयर के अतिरिक्त शेष भूमि कुल 4.86 हैक्टयर के स्थान पर 4.16 हैक्टयर का आवंटन करने की अनापत्ति जारी की है तथा जिला कलक्टर अलवर ने आवंटन की जानी वाली भूमि का आवंटन नियमावली 1963 के ससंगत नियम के अनुसार कुल राशि 8,27,630.10 रूपये अक्षरे आठ लाख, सत्ताईस हजार, छः सौ तीस रूपये, दस पैसे जमा कराने पर आवंटन करना स्वीकार किया एवं आदेश दिनांक 19.06.2002 को पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कतिपय लोगों ने बिना किसी कारण के उक्त आदेश की अपील सर्वप्रथम राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहॉ प्रस्तुत कर चुनौती दी जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 10.08.2006 को क्षेत्राधिकार में नही होने तथा अपीलकर्ता विरोधियों का लोकस स्टेण्डाई नही होने के आधार पर निरस्त किया जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के संमुख उक्त विरोधी सत्यनारायण वगैरह लोगों ने दायर की जो द्वितीय अपील भी दिनांक 05.09.2019 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की पीठ ने अंतिम निरस्त कर दी गई और इस प्रकार राशि

P.T.O.

8,27,630.10 रूपये जमा नही कराऐ जा सके क्योंकि जब तक आवांछित वाद–विवाद समाप्त ना हो सार्वजनिक ट्रस्ट कैसे उक्त राशि जमा कराता जबकि प्रार्थी ट्रस्ट ने राशि जमा कराने से कभी मना नही किया बल्कि ट्रस्ट तो राशि जाम कराने हेतु सदैव तत्पर है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व ग्रुप–3 विभाग के द्वारा जा पत्र क्रमांक प.2(119)राज–3/पार्ट दिनांक 22.02.2022 के द्वारा जो आवंटन निरस्त करने की शर्त लगाई कि राजकीय स्वीकृति दिनांक 19.02.2002 को इस शर्त पर निरस्त की जावें कि प्रार्थी ट्रस्ट को नैसर्गिक न्याय के अनुसार युक्तियुक्त अवसर सुनवाई का दिया जावें तथा जिला कलक्टर अलवर ने राजस्व विभाग के उक्त पत्र के अनुक्रम में अपीलार्थी ट्रस्ट को पत्र दिनांक 25.03.2022 के द्वारा राज्य सरकार के उक्त सशर्त निर्देश में एक माह से अधिक समयावधि के बीतने पर दिनांक 25.03.2022 को 15 दिवस में उज्र पेश करने का निर्देश दिया जिस पर अपीलार्थी ने अपना उज्र व आपत्ति यथोचित युक्ति–युक्त समय अर्थाव 15 दिवस से पूर्व ही दिनांक 06.034.2022 को अपनी घौर आपत्ति लिखित में पेश कर दी तथा उक्त राशि 8,27,630.10 रूपये जमा कराने के उद्देश्य से तत्परता दिनांक 22.06.2022 को तथा दिनांक 02.07.2022 को प्रार्थना पत्र पेश करके आवंटन राशि जमा कर भूमि पर भौतिक कब्जा दिलाने तथा नामान्तरकरण ट्रस्ट के नाम करने का निवेदन हर बार किया गया किन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 06.04.2022 को अपीलान्ट ट्रस्ट की आपत्ति जो जिला कलक्टर अलवर के प्रकरण संख्या 110/28 बी की पत्रावली में रिकार्डेड है, उक्त दिनांक 06.04.2022 को आपत्ति को निर्णय में विवेचित और निष्कर्ष लिये बिना अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्शाते हुऐ अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसैर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 06.04.2022 को यथोचित समय से उज्र सहित जवाब पेश करने के बावजूद सुनवाई की तारीख नियत नही की गई और व्यक्तिशः उपस्थित होने का तथाकथित नोटिस क्रमांक 3501–3502 दिनांक 07.06.2022 प्राप्त ही नही हुआ और विवादित आदेश दिनांक 21.06.2022 को पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय का हनन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अतः अपील व लिखित बहस के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2022 को अपीलीय तथ्यों व कारणों तथा आधारों पर अपास्त व निरस्त किया जावें। अपीलार्थी ट्रस्ट जो कि सार्वजनिक और धार्मिक तथा पूर्त उद्देश्यों के लिये कटिबद्ध ट्रेस्ट है तथा इसके कार्यकलाप स्वार्थ भावना से रहित है इसलिये मंदिर परिक्षेत्र के विकास तथा उन्नयन के दृष्टिकोण से आवंटन को बहाल रखते हुए जिला कलक्टर अलवर को उक्त आवंटन राशि 8,27,630.10 रूपये प्राप्त करने तथा भूमि को मुक्त व खाली करवाकर अपीलार्थी ट्रस्ट के नाम कब्जा सौंप कर नामान्तरकरण करावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक

P.T.O.

21.06.2022 को सदैव के लिए समाप्त व अपास्त किया जावें। अपील के चलते रहने से अपीलान्ट को राशि जमा न कराने का गुडकॉज है और इसलिये उक्त आवंटन की सर्म्पूण कार्यवाही भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाकर भूमि की लीज लैण्ड–यूज उद्देश्यों के मुताबिक सार्वजनिक और जन कल्याण उद्देश्यों से उपवन, बगीचा, विकसित करने तथा संस्कृत शिक्षा आदि के लिऐ शौध संस्थान व शिक्षण संस्थान के निर्माण व विकास के लिये प्रदान करने के समुचित निर्देश जिला कलक्टर तथा राज्य सरकार राजस्व विभाग को प्रेषित करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक 4772–73 दिनांक 19.06.2002 द्वारा भूमि विवादग्रस्त का रियायती दर पर कीमतन आवंटन अपीलार्थी ट्रस्ट को किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी ट्रस्ट को आवंटन के समय ही आवंटित भूमि की कीमत राशि राजकोष में जमा करवाकर भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत कराने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु अपीलार्थी ट्रस्ट द्वारा आवंटित भूमि की कीमत राशि लगभग 20 वर्षो तक राजकोष में जमा नही कराने पर आवंटन शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 द्वारा अपीलार्थी का आवंटन निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/24

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।